न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 131/2022

पीठासीन अधिकारीः— श्रीमती मोनिका जाखड़ आर0ए0एस0

1. छोटी देवी पुत्री स्व. श्री मोती पत्नि श्री रामदेव जाति जाट निवासी ग्राम रामनेर ढाणी तहसील व जिला अजमेर हाल निवासी ग्राम सुरसुरा तहसील रूपनगढ जिला अजमेर।
2. स्याणी पुत्री स्व0 श्री मोती पत्नि श्री किशन जाति जाट निवासी ग्राम रामनेर की ढाणी, तहसील व जिला अजमेर हाल निवासी ग्राम गहलोता तहसील दूदू जिला जयपुर।

——प्रार्थीयागण

बनाम

1. मोहन पुत्र स्व. श्री मोती
2. रामेश्वर पुत्र स्व. श्री मोती
3. महेन्द्र कुमार पुत्र श्री रामेश्वर
4. नरेन्द्र पुत्र श्री रामेश्वर नाबालिग जरिये संरक्षक पिता श्री रामेश्वर पुत्र स्व. श्री मोती समस्त जाति गुर्जर निवासीगण ग्राम रामनेर की ढाणी तहसील व जिला अजमेर।
5. यू.बी.आई.शाखा गगवाना जरिये शाखा प्रबन्धक तहसील व जिला अजमेर।
6. राजस्थान सरकार जरिये विद्वान तहसीलदार महोदय, अजमेर।

——अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः—

1. श्री रामसुख चौधरी

अभिभाषक प्रार्थीयागण

निर्णय

दिनांकः— 23/07/2024

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 2 की संयुक्त खातेदारी/सह काश्तकारी की आराजीयात ग्राम रामनेर की ढाणी तहसील व जिला अजमेर में अवस्थित जिसके आधार जमाबंदी संवत 2072 लगायत 2075 के खाता संख्या नया 509 व पुराना 452 के खसरा नंबर 2577 रकबा 0.05 बारानी—3, खसरा नंबर 2586 रकबा 0.26 चाही—2, खसरा नंबर 2584 रकबा 0.21 चाही—2, 2833 रकबा 0.86 बारानी—1 व खसरा नंबर 2839 रकबा 0.40 बारानी—1 है। उक्त वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थीयागण एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 की सह खातेदारी/सह काश्तकारी की आराजीयात है। जो वर्किंग जमाबंदी संवत 2041 के खाता संख्या 313 नया से स्वयं सिद्ध है कि उक्त आराजीयात के खातेदार काश्तकार प्रार्थीयागण व अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के पिता स्व. श्री मोती वल्द प्रताप थे जिनका स्वर्गवास होने पर जरिये विरासती नामांतरकरण संख्या 150 दिनांक 21.05.1992 को प्रार्थीयागण को विरासत से वंचित कर केवल मात्र अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने अपने नाम विरासत गैर कानूनी रूप से अंकन करवा कर वादग्रस्त आराजीयात को अप्रार्थी संख्या 3 व 4 को बेचान कर दी। उक्त बेचान के आधार पर नामांतरकरण संख्या 1 तस्दीक दिनांक 05.07.2012 क्रेतागण के नाम अंकन हो चुका है जबकि वादग्रस्त आराजीयात में प्रार्थीयागण का हक व हिस्सा निहित है। इसके उपरान्त गलत रूप से करवाई गयी विरासत एवं बेचान के आधार पर तस्दीक नामांतरकरण प्रार्थीयागण के हक व अधिकारों के प्रति प्रभावहीन एवं बेअसर घोषित किया जाकर प्रार्थीयागण प्रत्येक को 1/4—1/4 हिस्सा भूमि का खातेदार उदघोषित करवाने हेतु तथा अप्रार्थीगण जो कि प्रार्थीयागण के हिस्से की आराजीयात पर प्रार्थीयागण के कब्जे काश्त में दखलंदाजी एवं मदाखलत उत्पन्न करने, जबरन अतिक्रमण करने तथा रहन, बेचान, मुंतकिल करने पर आमादा है जिसमें यदि वह सफल हो गये तो प्रार्थीयागण अपने पिता के प्राप्त हिस्से की भूमि से महरूम हो जायेगी, जिससे प्रार्थीयागण को अपूर्तनीय क्षति कारित होगी। अतः अप्रार्थीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जाना न्यायोचित है जिस हेतु उक्त उनवानी वाद वास्ते जारी फरमाने स्थायी निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीयागण विरूद्ध अप्रार्थीगण सेवा में प्रस्तुत किया जा चुका है तथा ताफैसला मूल वाद अप्रार्थीगण को पाबन्द किये जाने का निवेदन किया है।

23/07/24

सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में नोटिस तामिली के उपरान्त अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 जरिये अभिभाषक दिनांक 12.08.2022 को उपस्थित हुए। दिनांक 15.07.2024 को प्रार्थीयागण अभिभाषक द्वारा निवेदन किया कि अप्रार्थीगणों को जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिया जा चुका है एवं अप्रार्थी संख्या 6 सरकार फॉर्मल पक्षकार होने से जवाब की आवश्यकता नही है। अतः इनका जवाब बन्द किया जावे। निवेदन स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के जवाब बन्द किया गया एवं अप्रार्थी संख्या 6 राज्य सरकार फॉर्मल पक्षकार होने से जवाब बंद किया जाकर पत्रावली बहस हेतु दिनांक 23.07.2024 को नियत की गई। दिनांक 23.07.2024 को उभयपक्ष के अभिभाषकगण बहस सुनी गई। उभयपक्ष अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रकरण मे प्रथम दृष्ट्या सुविधा का सन्तुलन, अपूरणीय क्षति प्रार्थीयागण के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीयागण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाकर ताफैसला मूल वाद पत्र के अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से को पाबंद किया जाता है कि वह वादग्रस्त आराजीयात पर प्रार्थीयागण के कब्जे काश्त में दखलंदाजी, रहन, बेचान, मुंतकिल या हस्तांतरण नही करे तथा राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 23.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/07/24

(मोनिका जाखड)
सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर

Scanned with OKEN Scanner